

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं० 241(11) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

18/10/16 झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा० दिनांक 12.05.2016 सहपटित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा मन्थेदाडा थाना न० 16 खाता न० 128  
प्लॉट न० 166, 807, 1132, अलग रकबा 1.37 एकड़ की  
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० 225 के पृष्ठ संख्या 225 पर जमाबंदी रैयत शारी मन्थेदाडा के नाम से कायम है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के दुरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 21/11/16 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
तोपचाँची

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के सम्मन से प्राप्त। नोटिस का तानिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके बंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का नॉन किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा अच्छेवाड़ा - मौजा नं० 16 ..... खाता नं० 128 ..

.. प्लॉट नं० 166, 807, 1132 मसु ..... रकबा 1.37 1/2 .....

से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ॥


के जमाबंदी भोलुम नं० 1 ..... के पृष्ठ सं० 225 में रैयत श्री श्रीमान् श्रीमान्


श्री श्रीमान् सा० - अच्छेवाड़ा - ..... के नाम से

कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में , बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड ) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को रद्द ..... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
27/11/20  
अंचल अधिकारी,  
तोपचौची।

  
27/11/20  
अंचल अधिकारी,  
तोपचौची।

241(11)16-17

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शारो भूमि आश्रम पीए- दुर्जम माझी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मीजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>मूकेश</u>	<u>16</u>	<u>128</u>	<u>166, 807</u> <u>1132-आश्रम</u>	<u>1.37 एकर</u>

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-225 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 88-89

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- शारो भूमि आश्रम

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- आ.ए.ए.

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- म

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - वाकिली अ.ग. 50(11) 88-89 4 म. 200)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>628375</u>	<u>23/3/98</u>	<u>88-89</u> <u>97-98</u>

MR

MR

18/11